

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय नि० Q-3 गोविन्दनगर हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 71/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 08.09.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पत्र क्रमांक :-RTI/2025/440 दिनांक 29.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय Q-3 गोविन्दनगर हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक 23.08.2025 को श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन प्रथम अपील नं. 71/2025 तारीख पेशी 01.09.2025 तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में विचाराधीन समस्त लम्बित आर.टी.आई में कोई सूचना नहीं चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं चाहने से उक्त अपील को खारिज करने की कृपा करावे।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर के समक्ष दिनांक 23.08.2025 को कार्यालय में विचाराधीन समस्त लम्बित आर.टी.आई में कोई सूचना नहीं चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई सूचना नहीं चाहने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।</p>	



(Signature)
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद